संस्था-प्रधान प्रशासनिक एवम् प्रबंधकीय अभिनवन प्रशिक्षण, ब्लॉक--आसीन्द (भीलवाड़ा)

वार्ता- उपापन नियम एवम् लेखों का संधारण, दिनांक24/11/2018

प्रस्तुतकर्त्ता- गणपत लाल वर्मा, प्रधानाचार्य राउमावि ब्राह्मणों की सरेरी (आसीन्द)

प्रसंग:- सभी संस्था प्रधान माध्यमिक विद्यालय/ उच्च माध्यमिक विद्यालय को सार्वजनिक वित्तीय एवं लेखा नियम 03 के तहत विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया गया है तथा आहरण वितरण के अधिकार प्रदान किए गए हैं । प्राप्त राजकीय बजट को 31 मार्च तक व्यय करना होता है । विद्यालय एवम् छात्र हित में आवश्यकतानुसार विभिन्न मदों में सामग्री,सेवा तथा संकर्म क्रय करना /उपापन /उपलब्ध कराना संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व है । इस हेतु G.F.&A.R.(सामान्य वित्तीय एवम् लेखा नियम), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 तथा 2013 की अद्यतन जानकारी होना आवश्यक है, जो कि संक्षिप्त में निम्नानुसार प्रस्तुत है -

1- मांग होने पर ही उचित स्वीकृति प्रपत्र कर क्रय करें । अनावश्यक सामग्री न खरीदें, मितव्ययता बरतें ।
2- सामग्री प्राप्त होने पर स्थाई /अस्थाई स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां कर बिल पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करें । बिल पर पीछे स्टॉक प्रविष्टि ,भुगतान हेतु (मद विवरण सहित) पारित, रोकड़ पृष्ठ संख्या/ दिनांक एवं चुकारा कर निरस्त किया की सील लगाकर प्रमाणित करें ।
3- बिल /वाउचर फाइल संधारित करें, प्रत्येक बिल पर लाल स्याही से वाउचर क्रमांक रोकड़ के अनुसार लिखे एवं रोकड़ भर जाने पर नई रोकड़ के साथ नई वाउचर फाइल प्रारंभ करें ।
4- प्रतिवर्ष सामग्री का भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र अंकित करें एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की परिमापक सूचियां तैयार कर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर विधिवत निस्तारण करें, प्राप्त राशि चालान से राजकोष में जमा करें ।
5- स्टॉक प्रविष्टि करते समय सामग्री का संपूर्ण विवरण देवें । परिनिर्धारित नुकसान (लिक्विदडेटेड डेमेजेज) ,कम सप्लाई, टूट-फूट, रद्द किये गए मॉल की वसूली साधारण तौर पर बिल में से कटौती करके की जाएगी ।
6- स्वयं क्रय नहीं करें बल्कि क्रय समिति के माध्यम से क्रय करें । नकद का बिल हो तो वक्त क्रय राशि देने वाले साथी से भुगतान मेरे द्वारा किया गया, पुनः प्राप्त किया गया का प्रमाण पत्र लेने तथा उधार का बिल हो तो संबंधित फर्म की रसीद / प्राप्ति हस्ताक्षर करावें ।
7- नियम 5-6 के तहत राजकीय राशि को तुरंत रोकड़ में दर्ज की जानी है ।
8- नियम 46 के तहत राशि की राजकीय रसीद दी जाएगी (जी.ए.56) तथा यह रसीद खो जाने पर डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जाएगी (नियम 47) तथा मांगने पर केवल प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।
9- उपलब्ध बजट से G.F.&A.R. की पालना करते हुए नियमानुसार संबंधित प्रभारी से मांग पत्र प्राप्त कर ही औचित्यता पर क्रय करें । आदेशों की कुल राशि के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए क्रयादेशों को विभाजित नहीं किया जाये ।
10- राजस्थान के उद्योगों को प्राथमिकता नियम, 1995 के उपनियमों जैसे मूल्य अधिमानता, क्रय अधिमानता, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्राथमिकता आदि की पालना करें । निविदा में दिया जाने वाला विवरण GF&AR (नियम 45) के अनुसार, निविदा प्रपत्र का विक्रय एवं लेखा (नि.47), निविदा प्रपत्रों की प्राप्ति (नि.48) निर्धारित प्ररूप में संधारित की जाये ।
11- निम्न स्थानों से बिना निविदा के क्रय किए जा सकते हैं

(अ) D.G.S.&D.(डायरेक्टर जनरल फॉर सप्लाई एंड डिसटीब्यूशन) / C.S.P.O. की अनुमोदित दरों पर क्रय करना,

(ब) राजस्थान लघु उद्योग निगम से,

(स) राजस्थान हाथकरघा निगम / राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ / खादी भंडार / जेल /N.T.C. से

(द) पुस्तकालय पुस्तकें- विदेशी लेखक 10% छूट, भारतीय लेखक 10% छूट एवं पाठ्य पुस्तकें 6.25% छूट पर क्रय की जा सकती है ।

(य) कंप्यूटर एवं सहायक सामग्री निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर क्रय करें।

12- भंडार क्रय नियम 28.(1)- प्राप्ति हेतु वित्तीय औचित्यता का स्तर- संबंधित प्राधिकारी प्राप्ति के लिए निर्णय करते समय लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात को ध्यान में रखेगा मात्र सस्ती से सस्ती वस्तु का चयन कर लेने से उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं होती किंतु उसे वित्तीय औचित्य के निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए-

(i) क्या प्रस्ताव शासी नियमों के अनुसार तथा चालू परिस्थितियों में उचित एवं युक्तियुक्त प्रक्रिया को अपनाने के बाद आमंत्रित किए गए हैं,

(ii) क्या प्राधिकारी इससे संतुष्ट है कि चयनित प्रस्ताव से उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी जिनके लिए वह वस्तु प्राप्त की जा रही है,

(iii) प्रस्ताव की लागत चालू बाजार की दरों में युक्ति युक्त है तथा अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है एवं

(iv) सबसे ऊपर, क्या समस्त संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जा रहा प्रस्ताव सबसे अधिक उपयुक्त है तथा इन नियमों के भाग 1 के नियम 10 में यथा उपबंधित वित्तीय औचित्य को रखते हुए हैं ।

13 नियम 30.(1) निविदा के बिना क्रय- अनुलग्नक “क” ऐसे ₹ 50000/ से अधिक का उपापन समिति के अनुमोदन के पश्चात और करार संविदाएं या एमओयू से किया जाएगा ।

14 नियम 31(2) फर्नीचर की मदें साधारण तौर पर विस्तृत विशेष नमूनों (स्पेसिफिकेशन) के आधार पर इन नियमों के लिए दिए गए उपबंध के अनुसार निविदाओं के माध्यम से खरीदी जाएगी तथा क्रय समिति के माध्यम से नमूनों या डिजाइन के आधार पर आपसी बातचीत नेगोशिएशन करके भी कराया जा सकता है ।

15 राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 में लोक उपापन के मूल सिद्धांत,उपापन की आवश्यकता का अवधारण, बोली लगाने की अर्हताएं,उपापन के मूल्य से सम्बंधित बाध्यताएं ,प्रक्रिया के लिए समय सीमा, उपापन कार्यवाहियों और संसूचनाओं के दस्तावेजी अभिलेख ,उपापन की विषय वास्तु का वर्णन , एकल भाग एवम् द्वि-भाग बोलियों, मूल्याङ्कन की कसौटी, संविदा के निबंधन एवम् शर्तें, राज्य लोक उपापन पोर्टल. बोलियों के प्रस्तुतीकरण, खोलने और मूल्याङ्कन से सम्बंधित प्रक्रिया, बोलियों का अपवर्जन, उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण, संविदा का अधिनिर्णय, उपापन की पद्धतियों, खुली प्रतियोगिता, सीमित बोली, एकल स्रोत उपापन, द्विप्रक्रमी बोली, इलैक्ट्रोनिक रिवर्स नीलम, कोटेशन और मौके पर क्रय के लिए अनुरोध, प्रतियोगी बातचीत, दर संविदा, अपील, लोक

उपापन के सम्बन्ध में परितोषण या मूल्यवान वस्तु लेने के लिए दंड, बोली लगाने से विवर्जन, गोपनीयता आदि के मार्गदर्शक नियम -उपनियम उल्लेखित किये गए है ।

16 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार प्रत्येक उत्पादन संस्था निम्नलिखित प्रयोजन के लिए 1 या इससे अधिक समितियों का गठन करेगी - बोली दस्तावेज तैयार करना, बोलियों का खोलना, बोलियों का मूल्यांकन, संविदा का अनुश्रवण, मौके पर क्रय, प्रतियोगी बातचीत और उपापन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन जैसा उत्पादन संस्था द्वारा विनिश्य किया जाए ।

17 उपापन से निम्नलिखित प्रस्ताव में इलेक्ट्रॉनिक उपापन अनिवार्य होगा- 1. ₹25लाख या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन और 2. ₹10 लाख या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्म उपापन ।

18 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (द राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2013) संपूर्ण उपापन प्रक्रिया को विस्तारपूर्वक चैप्टर संख्या 1 से 7 तक (नियम संख्या 1 से 86) स्पष्ट किया गया है ।

19 उपापन के लिए संगठनात्मक संरचना (नियम 3 से 5), उपापन के साधारण सिद्धांत (नि. 6 से 13), उपापन की पद्धतियाँ (नि.14 से 33) बोली प्रक्रिया प्रबंधन- खुली प्रतियोगी बोली (नि.34 से 79), स्विस चैलेंज पद्धति नियम (79-क से 79-ण), सत्य निष्ठा की संहिता (नि.80 से 86) तथा तथा अंत में विभिन्न प्ररूप अभिलिखित किए गए हैं ।

20 प्रत्येक उपापन संस्था उपापन समितियों के माध्यम से राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा अनुरक्षित राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपेक्षित सूचना अपलोड कर प्रकाशित करेगी और ई उपापन की प्रक्रिया द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी ।

21 (नि.16) सीमित बोली- धारा 30 की उप धारा एक के खंड "ख" के अनुसार किसी विषय वस्तु के उपापन की दशा में कोई उपापन संस्था सीमित बोली की पद्धति अंगीकार कर सकेगी यदि विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक बार में ₹2 लाख से कम हो किंतु वित्तीय वर्ष में यह ₹10 लाख से अधिक नहीं होगा ।

22 कोटेशन के लिए अनुरोध (नियम 24) - (1) कोई उपापन संस्था उपापन के लिए कोटेशन के लिए अनुरोध की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर ₹1 लाख से कम हो किंतु यह एक वित्तीय वर्ष में ₹5 लाख से अधिक नहीं होगा ।

कोटेशन के अनुरोध के लिए निम्न प्रक्रिया होगी -

(क)कोटेशन न्यूनतम तीन के अधीन रहते हुए, यथासाध्य संभावी बोली लगाने वालों से मांगे जाएंगे ।

(ख) प्रत्येक बोली लगाने वाला, जिससे कोटेशन का अनुरोध किया गया है को सूचित किया जाएगा कि क्या उपापन की विषय वस्तु स्वयं के प्रभावों से भिन्न कोई अन्य तत्व जैसे परिवहन, बीमा प्रभार, सीमा शुल्क, कर इत्यादि, जो लागू हो, कीमत में सम्मिलित किए जाने हैं।

(ग) प्रत्येक बोली लगाने वाले को केवल एक कोटेशन देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(घ) कोटेशन के लिए अनुरोध में यथा- उपवर्णित उपापन संस्था की आवश्यकता को पूरा करने वाला न्यूनतम कीमत वाला कोटेशन सफल कोटेशन होगा ।

23. एकल स्रोत उपापन (नि.17)- वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अध्यधीन 12 माह की अवधि के लिए राज्य सरकार के विभागों या अधिनस्थ कार्यालयों के लिए प्रत्येक मामले में 5 लाख रूपये की वित्तीय सीमा तक और अन्य उपापन संस्थाओं के लिए प्रत्येक मामले में 12 लाख रूपये की वित्तीय सीमा तक परामर्शी या वृत्तिक की सेवाएं भाड़े पर लेना आवश्यक हो ।

24. मौके पर क्रय (नियम 25) कोई उपापन संस्था, उपापन के लिए मौके पर क्रय की पद्धति को अंगीकृत कर सकेगी यदि उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कलित लागत या मूल्य एक अवसर पर ₹50000/ से कम हो किंतु यह एक वित्तीय वर्ष में ₹300000/ से अधिक नहीं होगा । कोई उपापन संस्था मौका क्रय समिति (बाजार सर्वेक्षण कर प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर) की सिफारिश पर उपापन कर सकेगी ।

25. (नियम 26) कोटेशन के बिना उपापन - किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ₹100000/ से नीचे की सीमा के अध्यधीन रहते हुए एक अवसर पर ₹10000/ मूल्य के उपापन की विषय वस्तु सरकारी विभागों/ पब्लिक निगमों, प्राधिकृत व्यवहारियों, सहकारी स्टोर्स/ भंडारों या ऐसे फुटकर विक्रेताओं से, जो उपापन की विषय वस्तु के सद्भावी व्यवहारी हैं, कोटेशन आमंत्रित किए बिना उपाप्त की जा सकेगी ।

26. कार्य आदेश प्रणाली और पीस वर्क प्रणाली द्वारा संकर्मों का उपापन (नियम 27) - किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक अवसर पर एक लाख रूपये से कम मूल्य के संकर्म ,कार्य आदेश प्रणाली द्वारा उपाप्त किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण - कार्य आदेश प्रणाली से विनिर्दिष्ट समय में अनुसूचित दरों पर किसी संकर्म को निष्पादन करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वाले को सीधे ही आदेश देकर उपापन की रीति अभिप्रेत है ।

27. (नियम 43) बोली आमंत्रित करने वाली सूचना -(1) उपापन संस्था खुली प्रतियोगी बोली और द्वि-प्रक्रमी बोली में बोलियों की, या जहां लागू हो, पूर्व -अर्हता के लिए आवेदन की अभ्यर्थना बोली या, यथास्थिति, पूर्व-अर्हता के आमंत्रण का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (sppp.rajasthan.gov.in) और उसकी स्वयं की शासकीय वेबसाइट यदि उपलब्ध हो, पर करके करेगी । इस नियम के उप-नियम (6) और (7) में यथा- विहित पर्याप्त परिचालन वाले समाचार पत्रों में एक संक्षिप्त नोटिस भी प्रकाशित किया जाएगा ।

28 माल व सेवाओं के उपापन का प्राक्कलित मूल्य ₹5 लाख तक के लिए 10 दिन, 5 लाख से ₹50 लाख तक के लिए 15 दिन तथा ₹50 लाख से अधिक के लिए 30 दिन, बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि होगी ।

29. संकर्मों के उपापन के लिए बोलियों के प्रस्तुतीकरण हेतु उपाप्त किए जाने वाले संकर्म का प्राक्कलित मूल्य ₹100000 तक के लिए 7 दिन, ₹100000 से अधिक और ₹1000000 तक के लिए 15 दिन, ₹1000000 से अधिक और एक करोड रुपए तक 21 दिन बोली आमंत्रित करने वाले नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख से बोली को प्रस्तुत करने की कालावधि होगी ।

30. द्वि-भाग बोलियों के मामले में तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में अर्हता में सफल समझे गए बोली दाताओं की वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा । तकनीकी बोलियों तथा वित्तीय बोलियों के मूल्याङ्कन के लिए क्रमशः नियम 57 व 58 के विनिर्देशों के अनुसार सारणी बनाई जाएगी ।

31. सफल बोली का स्वीकार किया जाना और संविदा का आधिनिर्णय (नियम 70)- बोली मूल्यांकन समिति की सिफारिशों और बोली की शर्तों, यदि कोई हो, वित्तीय परिणाम, परीक्षण, रिपोर्टों इत्यादि पर विचार करने के पश्चात सफल बोली को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है ।

32. (नियम 75) कार्य संपादन प्रतिभूति के रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की 5% या जैसी कि बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाये, होगी । यह राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में 1% तथा रुग्ण उद्योगों के लिए 2% होगी ।

33. GF&AR नियम 57 के अनुसार- (1) छोटे आदेशों एवम् सीमित निविदाओं के मामले में बयाना राशि एवम् प्रतिभूति निक्षेप नहीं लिया जाएगा । (2) खुली निविदा के मामले में निविदा जमा करते समय बयाना राशि प्राक्कलित मूल्य का लगभग 2% ली जाएगी । GF&AR नियम 46 के अनुसार खुली निविदा हेतु निविदा प्रपत्रों की लागत 50 हजार से 10 लाख तक के लिए 200/- रुपये तथा 10 लाख से अधिक के लिए 400/- रूपये ली जाएगी । सफल निविदादाता की बयाना राशि का समायोजन कार्य संपादन प्रतिभूति रकम में किया जाता है तथा असफल निविदादाताओं की बयाना राशि पुन: लौटा दी जाती है ।

34. (नियम 76) करार का निष्पादन- सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो वहां उस तारीख से 15 दिवस के भीतर जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र प्रेषित किया जाता है । उपापन संविदा (नॉन ज्युडिशरी स्टाम्प) पर हस्ताक्षर करेगा, यदि वह हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य संपादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था सफल बोली लगाने वाले के विरुद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी । उपापन संस्था ऐसे मामले में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में वर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभ लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को, स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी ।

35. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी या कर्मचारी नियम 80 के तहत सत्य निष्ठा संहिता से आबद्ध होते हैं ।

36. वित्त (G&T) विभाग, अधिसूचना जयपुर, सितंबर 4, 2013 एस. ओ. 135 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 के साथ चयनित उपापन की विषय वस्तु को वर्णित स्रोत और शर्तों पर अधिमान दिए जाने की व्यवस्था करता है ।

37. राजस्थान सरकार वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, नवंबर 19, 2015 एस. ओ. 165 के अंतर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के अनुसार उपापन संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट रीति से अनुसूची-I में उल्लिखित माल को केवल सूक्ष्म और लघु उद्योग से उपाप्त करना और साथ ही अनुसूची-I में सम्मिलित नहीं किए गए माल के उपापन में राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कीमत या क्रय अधिमानता या दोनों देने को अधिसूचित करता है ।

38. GF&AR के परिशिष्ट 4 के उल्लेखित फार्मों की सूचि के अनुसार समस्त प्रकार के रिकोर्ड का संधारण किया जायेगा।

39. GF&AR भाग -III (DELEGATION OF FINANCIAL POWERS) में विभिन्न अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों तथा वित्तीय सीमा की पालना की जाए ।

धन्यवाद

From

GANPAT LAL VERMA

PEEO & PRINCIPAL

BRAHMANO KI SARERI ,ASIND (BHILWARA)

मार्गदर्शन एवम् प्रबोधन	संरक्षक
श्रीमती हीरावंती जी आसवानी	श्रीमान सुशील कुमार जी गहलोत
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आसीन्द	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा